पत्र संख्या–वनभूमि–37/2016 5229 व0प0

**झारखण्ड सरकार**
**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

प्रेषक

**सुनील कुमार,**
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

**प्रधान मुख्य वन संरक्षक,**
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 13/12/17

**विषय :– गुवा लिंक पथ MDR (187) बरायबुरू गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 2.356 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–391 दिनांक–24.05.2017, पत्रांक–576 दिनांक–12.07.2017, पत्रांक–876 दिनांक–25.09.2017 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–1967 दिनांक–16.11.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में सारण्डा वन प्रमंडल अंतर्गत गुवा लिंक पथ MDR (187) बरायबुरू गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 2.356 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव की सम्यक समीक्षोपरांत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–11-09/98-FC दिनांक–04.07.2014 एवं दिनांक–25.02.2016 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सैद्धान्तिक सहमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :–

(1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(2) प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202/1995 में दिनांक–28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 2.356 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।

(3) यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।

(4) प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।

(5) प्रस्तावित वनभूमि में पथ निर्माण के क्रम में यथा संभव कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 57 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

(6) पथ निर्माण के उपरांत पथ के किनारे, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।

(7) भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(8) वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।

P.T.O

(9) यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।

(10) परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी, यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।

(11) अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नही किया जायेगा।

(12) उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं की स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

सैद्धांतिक सहमति के शर्तो के अनुपालन होने के उपरांत अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

विश्वासभाजन

13/12/17

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वनभूमि–37/2016– 5229 व0प0, राँची दिनांक– 13/12/17

प्रतिलिपि–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची बंगला नं0–A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची–834002 को मूल प्रस्ताव तथा प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोक्त।

13/12/17

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वनभूमि–37/2016– 5229 व0प0, राँची दिनांक– 13/12/17

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वनभूमि–37/2016– 5229 व0प0, राँची दिनांक– 13/12/17

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल चाईबासा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड–833104 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17

सरकार के उप सचिव